सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

SPUP
SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE JODHPUR

(राजस्थान सरकार के राज्य विधानसभा कानून के तहत स्थापित)
दईज़र, मथानिया रोड़, जोधपुर (राज.)

Ref. No. F.2(1)/SPUJ/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-II/4036 **Dated:** 28-10-12

-: कार्यवाही विवरण :-

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड की 11वीं बैठक, जो दिनांक 26 सितम्बर 2018 को प्रातः 11.30 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, पुलिस मुख्यालय, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित सम्भाषा कक्ष में आयोजित की गई थी, में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित हुए

1. डॉ. भूपेन्द्र सिंह, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, एसपीयूपी, जोधपुर
2. श्री ओ.पी. गल्होत्रा, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान
3. श्री योगेश कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव (गृह), राजस्थान
4. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, सह–आचार्य, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग (अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा मनोनीत)
5. श्री अशोक कुमार गुप्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी (अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा मनोनीत)
6. डॉ. सी.बी. शर्मा, आईपीएस (से.नि.), जयपुर
7. श्री सौरभ श्रीवास्तव, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवम् निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी
8. प्रो. सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक, आईआईटी, जोधपुर
9. श्री राजकुमार अरोड़ा, आचार्य (प्रतिनियुक्त), सिक्योरिटी एण्ड इन्टेलीजेन्स स्टडीज़, एसपीयूपी, जोधपुर
10. श्री जे.सी. पुरोहित, कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर

श्री एन.आर.के. रेड्डी, **IPS, Special DG, (LAW & Order),** श्री ए. पोन्नुचामी, **IPS, MD (Rajasthan Police Housing & Construction, Co. Ltd.)** एवं डॉ. विनय कौड़ा, सहायक आचार्य, एसपीयूपी विशेष आमन्त्रण पर बैठक में उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त बैठक की आवश्यक व्यवस्थाओं एवं बैठक के चर्चा बिन्दुओं से सम्बन्धित आवश्यक सहयोग एवं तत्काल जानकारी प्रदान करने हेतु, श्रीमती डिम्पल पवार आर्य उप–कुलसचिव, श्री हिमान्शु शर्मा निजी सचिव एवं श्री अनुज त्यागी, निजी सहायक भी बैठक में उपस्थित हुए।

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित नहीं हुए–

1. प्रो. पूनम सक्सेना, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. श्री श्रीराम अरूण, माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य

28/10/18

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के उपस्थित सदस्यों के स्वागतोपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में संचालित की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए, बिन्दुवार चर्चा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये–

बिन्दु संख्या–11/1- विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दशम् बैठक दिनांक 20 दिसम्बर 2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णय–<u>11/1</u>- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–11/2- विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 20 दिसम्बर 2017 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण।

निर्णय–<u>11/2</u>- प्रबन्ध बोर्ड की दशम् बैठक दिनांक 20 दिसम्बर 2017 के कार्यवाही विवरणानुसार, विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनुपालना–प्रतिवेदन का सर्वसम्मति अनुमोदन किया गया

बिन्दु संख्या–11/3- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सड़क सुरक्षा केन्द्र, जयपुर द्वारा उदयपुर, अजमेर एवं बीकानेर में क्षेत्रीय शाखाऐं स्थापित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

निर्णय–<u>11/3</u>- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सड़क सुरक्षा केन्द्र, जयपुर द्वारा उदयपुर, अजमेर एवं बीकानेर में क्षेत्रीय शाखाऐं स्थापित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही आधिकाधिक जन–जागरूकता के उद्देश्य से, श्री मनोज भट्ट, सेवानिवृत्त **IPS** एवं मानद निदेशक, सड़क सुरक्षा केन्द्र, जयपुर द्वारा विभिन्न आदेशों के तहत उदयपुर जिले में एवं बीकानेर जिले में स्थापित सड़क सुरक्षा केन्द्र में क्रमशः डॉ. कनिका शर्मा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर तथा डॉ. प्रतिभा चौधरी, सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग विभाग, **University College of Engineering and Technology, Bikaner** को मानद क्षेत्रीय समन्वयक (**Regional Coordinator**)(**Honorary**), के रूप में दिनांक 01.09.2018 से एक वर्ष की अवधि हेतु की गई नियुक्ति एवं श्रीमती एस. परिमाला, **IPS** को सड़क सुरक्षा केन्द्र, जयपुर में मानद अतिरिक्त निदेशक (**Additional Director**) (**Honorary**) के पद पर नियुक्त करने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–11/4- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti-Insurgency and Institute of Forensic Science की स्थापना, आगामी योजनाऐं एवं कर्मचारियों के प्रबन्धन के विषय पर चर्चा।

निर्णय–11/4- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध **Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti-Insurgency and Institute of Forensic Science** की स्थापना, आगामी योजनाऐं एवं कर्मचारियों के प्रबन्धन के विषय पर निर्णय लेने हेतु निम्नलिखितानुसार एक कार्यकारी परिषद् (**Executive Council**) का गठन किये जाने कि अनुशंसा राज्य सरकार को भिजवाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया,

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार – अध्यक्ष
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
3. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान
4. कुलपति/प्रति–कुलपति, एसपीयूपी, जोधपुर
5. प्रो. सी.वी. आर मूर्ति, निदेशक, आईआईटी, जोधपुर (प्रबन्ध बोर्ड द्वारा मनोनीत)
6. श्री एन.आर.के. रेड्डी, **IPS, Special DG, (Law & Order)** एवं मानद निदेशक, **Peace and Conflict Studies**
7. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, **Anti- Terrorist Squad, Rajasthan**
8. प्रबन्ध निदेशक, **Rajasthan Police Housing & Construction, Co. Ltd., Jaipur**
9. श्री राजकुमार अरोड़ा, आचार्य (प्रतिनियुक्त), विशेषाधिकारी, **Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti-Insurgency,** एसपीयूपी, जोधपुर
10. डॉ. विनय कौड़ा, सहायक आचार्य, एसपीयूपी, जोधपुर

बिन्दु संख्या–11/5- विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों हेतु CAS (Career Advancement Scheme) की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय–11/5- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में **CAS (Career Advancement Scheme)** से सम्बन्धित प्रचलित नियमों का सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए, विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक संकाय सदस्यों हेतु **CAS (Career Advancement Scheme)** की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में राजस्थान राज्य के बाहर से आये शैक्षणिक संकायों का वेतन संरक्षण तथा **CAS (Career Advancement Scheme)** के अन्तर्गत सेवा का अनुभव अभी विचाराधीन होने के कारण, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों की गत सेवा के अनुभव की गणना के सम्बन्ध में प्रकरण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के निर्णय के अद्यधीन लम्बित रखा गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।